

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-250/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० नूतन वर्मा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा के दिनांक-09.05.2022 से 05.06.2025 तक के अविनियमित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-09.05.2022 से 08.05.2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अवधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक-09.05.2025 से 05.06.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-250/2026-

2356(2)

/स्वा०, पटना, दिनांक 25/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० नूतन वर्मा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. P. Singh
सरकार के उप सचिव।